अधिसूचना अंतर्गत मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976

(क्रमांक 52 सन् 1976)

क्र. एफ (ए) 3-2-2011-1 -पांच- (64). - मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है,

(एक) इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-25-2010-1-पांच (96), दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 में,-

संशोधन

(1) उक्त अधिसूचना में,-

(एक) उपाबंध-एक के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध स्थापित किया जाए अर्थात् :-

"उपाबंध-एक

ऐसा व्यापारी, जो नीचे विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाइयों में से किसी इकाई को स्थापित करता है, प्रवेश कर के भुगतान से छूट हेतु पात्र नहीं होगा :-

MAP IT (MP Code)

1. आरा मिल;
2. सभी प्रकार के धातु स्केपों को प्रेसिंग द्वारा ब्लाक अथवा अन्य किसी रूप में परिवर्तित करना;

www.code.mp.gov.in

3. खाद्य तेल रिफाइन करना (स्वतंत्र इकाई);
4. शराब का सम्मिश्रण या विनिर्माण (अंगूर से विनिर्मित शराब एवं वाइन से भिन्न ऐसी शराब एवं वाइन जिसमें अल्कोहल की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक न हो,);
5. चाय का सम्मिश्रण या विनिर्माण;
6. लस्सी, श्रीखण्ड, आईसक्रीम, चीज, घी, मक्खन, मठा, फ्लेवर्ड मिल्क आदि का विनिर्माण (ऐसी औद्योगिक इकाइयों से भिन्न इकाइयां जिनमें संयंत्र और मशीनरी मे पचास लाख रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो);
7. विनियरिंग तथा प्लाईवुड उद्योग;

8. ईट निर्माण (मशीनीकृत इकाइयों व फायर ब्रिक्स के विनिर्माण को छोड़कर);

9. कोक और इष्टिका (कोल ब्रिकेट) का विनिर्माण (ऐसी मशीनीकृत इकाइयों से भिन्न इकाइयां, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में पचास लाख रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो.);

10. प्लाईवुड तथा इमारती लकड़ी के बक्सों का विनिर्माण;

11. लकड़ी के कोयले का विनिर्माण;

12. सभी प्रकार के मसालों का विनिर्माण (पेटीबंद (पेकेज्ड) मसालों को छोड़कर;

13. खनिजों का चूर्ण बनाना;

14. रस्सी का विनिर्माण (ऐसी मशीनीकृत इकाइयों से भिन्न इकाइयां, जिनमें संयंत्र और मशीनरी मेँ पच्चीस लाख रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो);

15. सभी प्रकार के फर्श, दीवाल एवं छत पर लगने वाले टाइल्स, जिनमें कवेलू और खपरैल सम्मिलित हैं, का विनिर्माण, (ऐसे मशीनीकृत सिरेमिक एवं स्टोन टाइल्स विनिर्माण उद्योग से भिन्न उद्योग, जिसमें संयंत्र और मशीनरी में एक करोड़ रुपये या उससे अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो);

MAP IT (MP Code)

16. स्टोन क्राशिंग (गिट्टी तोड़ना);

17. लाख तथा चपड़ी विनिर्माण;

www.code.mp.gov.in

18. सभी प्रकार की मुद्रण प्रक्रियाएं (रोटोथेवियर/फ्लेक्स प्रिंटिंग को छोड़कर, (जिसमें संयंत्र और मशीनरी में एक करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो और मुद्रण प्रक्रियाएं विनिर्माण प्रक्रिया का भाग हों);

19. बर्फ विनिर्माण;

20. कलर लेबोरेटरीज;

21. सोने और चांदी के बुलियन से आभूषण और अन्य वस्तुओं का विनिर्माण

22. बर्तन विनिर्माण (ऐसी औद्योगिक इकाई को छोड़कर, जिसमें संयंत्र और मशीनरी में पच्चीस लाख रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो);

23. लकड़ी की खिड़की, दरवाजे, चौखट एवं फर्नीचर विनिर्माण;

24. स्टोन कटिंग तथा पालिशिंग (ऐसी औद्योगिक इकाई को छोड़कर, जिसमें संयंत्र और मशीनरी में एक करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो)

25. लोहे एवं इस्पात की गेल्वनाइजिंग जो किसी संयुक्त संयंत्र या प्रक्रिया का अंग न हो और अकेले गेल्वनाइजिंग संयंत्र एवं मशीनरी में, एक करोड़ रुपये से कम का निवेश हो;

(दो) जहां कोई औद्योगिक इकाई संयंत्र एवं मशीनरी में एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक के पूंजी निवेश से स्थापित की गई हो वहां निम्नलिखित विनिर्माण प्रक्रियाओं को छोड़कर लोहे व इस्पात का प्रसंस्करण:-

(क) स्टील सेमीस (समस्त क्वालिटियों, आकृतियों और आकारों की सिल्लियां, पट्टियां, क्षम और बिलेट), तारों
की खड़े, सिल्लियां, सांचे, तल्ली -लेटे, चक्रियां, इस्पात को ढालकर और पीटकर बनाई गई वस्तुएं और/या
इस्पात के ढांचे (एंगल, शहतीरें, चैनल, टीज, जेड सेक्शन) और इस्पात की शलाकाएँ (गोल, वर्गीय, चपटी, अष्ट भुजीय, षट-भुजीय, समतल तथा शिरायुक्त या मरोडयुक्त कुण्डली रूप में साथ ही सीधी लम्बाई वाली) चादरें, चक्र, छीलन तथा फेल, काली तथा जस्तेदार दोनों, उष्ण तथा ठंडी बेल्लित, समतल तथा नालीदार समस्त क्वालिटियों की, सीधी लम्बाई में तथा कुण्डली रूप में बेल्लित और कीलक दशा में, लोहा और इस्पात की छिलन में से, कच्चा लोहा औराया स्टील सेमीस (सिल्लियां, पट्टियां, क्षम और बिलेट) और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) में यथा विनिर्दिष्ट लोहे और इस्पात की किसी कोटि नुक्स वाले परित्यक्त, कतरे हुए या सिरों को टुकड़ों से विनिर्माण,

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) में यथाविनिर्दिष्ट ठंडी या ऊष्ण बेल्लित चादरें (चाहे वह सीधी लम्बाई में हो या कुण्डली के रूप में) तथा चक्र एवं छिलन के उपयोग से इस्पात की नलिकाएं पाइप, चादरें, पाईलिंग सेक्ट्रान अथवा अन्य किसी प्रकार के बेल्लित सेच्चान का विनिर्माण,

(ग) इस्पात की छड़ों से इस्पात का तार खींचना.

(तीन) किसी औद्योगिक इकाई से भिन्न किसी औद्योगिक इकाई द्वारा जो संयंत्र और मशीनरी में दस करोड़ रुपये से अनधिक के पूंजी निवेश से स्थापित की गई हो, ऊष्ण बेल्लित चादरों (हाट रोल्ड शीट्स) (चाहे वे सीधी लम्बाई में हो या कुण्डली रूप में) से ठंडी बेल्लित चादरों (कोल्ड रोल्ड शीट्स) (चाहे वे सीधी लम्बाई में हो या कुण्डली रूप में) का विनिर्माण,

26. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (दो-सी) में यथाविनिर्दिष्ट कच्चा (क्रूड) तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद एवं उसके उत्पादों का शोधन;

27. भारत सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं इन उपक्रमों के संयुक्त क्षेत्र की इकाइयां;

28. भारत सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व के औद्योगिक उपक्रम;

29. किसी उद्यमी द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के कालम (2) में निनिर्दिष्ट पात्र औद्योगिक इकाई को छोड़कर)

30. मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विद्यमान किसी इकाई का स्थानांतरण, अंतरण, उद्ध्वंसन या बंद करके स्थापित की गई नई इकाई (ऐसी औद्योगिक इकाई से भन्न इकाई जिसमें विद्यमान इकाई के विरूद्ध कोई कर बकाया न हो तथा नई इकाई के उत्पाद, विद्यमान इकाई के उत्पादों से भिन्न हों);

31. काटन जिनिंग एवं प्रेसिंग उद्योग (किसी ऐसी औद्योगिक इकाई से भन्न औद्योगिक इकाई जिसमें संयंत्र और मशीनरी में एक करोड़ रूपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो);

32. सभी प्रकार के साल्वेंट एन्व्हेव्यान संयंत्र (किसी ऐसी औद्योगिक इकाई से भिन्न औद्योगिक इकाई जिसमें संयंत्र और मशीनरी में एक करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो);

MAP IT (MP Code)

33. सभी प्रकार के रंग एवं पेंट का विनिर्माण, जहां संयंत्र एवं मशीनरी में एक करोड़ रुपये से कम का पूंजी निवेश किया गया हो

www.code.mp.gov.in

34. कूलरों का विनिर्माण

35. सभी प्रकार के पान मसालों एवं गुटकों का विनिर्माण

36. 20 माइक्रान अथवा उससे कम मोटाई की प्लास्टिक थैलियों का विनिर्माण

37. सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स का विनिर्माण (पल्प पर आधारित ड्रिंक्स को छोड़कर)

38. सभी प्रकार के पारम्परिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे आटा चक्की, बेसन चक्की, दाल मिल, चावल मिल, आईल एक्सपेलर, पोहा एवं मुरमुरा उद्योग (ऐसी औद्योगिक इकाई से भिन्न इकाई जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में पचास लाख रुपये से अधिक का पूंजी निवेश

किया गया हो).

39. तम्बाकू उत्पाद एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पादों का विनिर्माण

40. स्लाटर हाऊस एवं मीट पर आधारित उद्योग

41. सभी प्रकार की खनन गतिविधियां

42. ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो विनिर्माण उद्योग की श्रेणी में न आती हों

43. मिठाई एवं नमकीन विनिर्माण (पैकेज्ड मिठाई एवं नमकीन बनाने वाली ऐसी औद्योगिक इकाई से भिन्न इकाई जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में पचास लाख रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो).

44. सोया प्रसंस्करण उद्योग (ऐसी औद्योगिक इकाई को छोड़कर जिसका, सोयाबीन तेल (रिफाइन्ड तेल को सम्मिलित करते हुए) तथा तेल सहित खली से भिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन, पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक (विक्रय मूल्य के आधार पर हो);

45. इस्पात के फर्नीचर का विनिर्माण (ऐसी औद्योगिक इकाई से भिन्न इकाई जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में पचास लाख रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो)

46. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग (आई. टी. पार्क में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/ सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग से भिन्न उद्योग).

47. ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो राज्य सरकार अथवा इसके किसी उपक्रम की व्यतिक्रमी घोषित की गई हों,

48. अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं";

(2) उपाबंध-दो में, पैरा 1 में, शब्द "प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, व्यापार तथा विनिधान संवर्धन निगम लिमिटेड" के स्थान पर, शब्द "उद्योग आयुक्त मध्यप्रदेश" स्थापित किए जाएं;

(दो) इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-25-2010-1-पांच (97), दिनांक 13 सितम्बर, 2010 में सारणी में, कॉलम (2) में, शब्द "अधिसूचना क्रमांक..... दिनांक....."के स्थान पर शब्द और अंक" अधिसूचना क्रमांक ए-3-25-2010-पांच (96), दिनांक 13 सितम्बर, 2010" स्थापित किए जाएं.

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in